न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर म0प्र0

श्री रणवीर सिंह तनय श्री तापस सिंह निवासी ग्राम पल्हान तहसील सिरमौर जिला-रीवा म0प्र0 —— आवेदक

बनाम

1- श्री रमेश प्रताप सिंह तनय श्री इन्द्रपाल सिंह,
2- श्री इन्द्रबहादुर सिंह तनय श्री रघुनन्दन सिंह,
3- श्री गजराज सिंह तनय श्री उदयभान सिंह,
4- श्री राजेश बहादुर, सिंह तनय इन्द्रपाल सिंह,
5- मु0 मायावती बेवा इन्द्रपाल सिंह,
6- श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह तनय श्री राजप्रताप सिंह,
7- बृजराज सिंह तनय श्री उदयपाल सिंह,
8- श्रीमती गीता देवी बेवा पत्नी राजप्रताप सिंह
9- मीरा सिंह पुत्री राजप्रताप सिंह
10- गीता सिंह पुत्री राजप्रताप सिंह,
11- अर्चना सिंह पुत्री राजप्रताप सिंह,
12- सीता देवी पुत्री राजप्रताप सिंह,
13- पुष्पपाल सिंह तनय इन्द्रपाल सिंह,
14- तेजबहादुर सिंह तनय इन्द्रपाल सिंह,

सभी निवासी ग्राम पल्हान तहसील सिरमौर जिला-रीवा म0प्र0

15- विद्यावती पुत्री लक्ष्मती सिंह निवासी ग्राम सुजवार तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

16- कलावती पुत्री लक्ष्मती सिंह निवासी ग्राम लभौली तहसील सिरमौर जिला-रीवा म0प्र0 —— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय श्रीमान अपर आयुक्त
महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 दिनांक-
1.12.06 अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0भू0 रा0
संहिता 1959 ई0

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 125/अपील/05-06

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि के विपरीत है ।

2- यह कि आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील सिरमौर जिलारीवा म0प्र0 के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आधार पर दिया गया था कि भूमि खसरा क्र0 24,25, 39,40, 23, 41 स्थित ग्राम [illegible] तहसील सिरमौर जिला-रीवा म0प्र0 में आवेदक सन् 1972 से लगातार काबिज दखील है कब्जे के आधार पंजीकृत विक्रय दस्तावेज है । आवेदक के नाम भूमियों का नामान्तरण अन्तर्गत धारा- 109-110 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता नहीं हुआ, जिस कारण अनावेदकगण का नाम खसरे के भूमिस्वामी खाने में दर्ज है । किन्तु काश्तकारी आवेदक करता है । स्वत्व के निराकरण के लिए व्यवहारवाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सिरमौर जिलारीवा के समक्ष लम्बित है आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन था कि खसरे में वर्ष 1995-96 से आवेदक का कब्जा होते हुए भी हल्का पटवारी द्वारा खसरे में आवेदक का कब्जा नहीं लिखा जा रही है जिस आवेदन पत्र तहसीलदार सिरमौर जिला-रीवा द्वारा राजस्व निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार सिरमौर से प्रतिवेदन मगाया जाकर खसरे में रिकार्डेड भूमिस्वामी अनावेदकगण को कारण बताओ सूचना जारी की गयी । अनावेदकगण द्वारा जवाब विधिवत सुनवाई की जाकर तहसीलदार तहसील सिरमौर जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक-94अ-6अ/95-96 में आवेदक का कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया गया.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

R 2258-III/06

प्रकरण कमांक निगरानी 2258–तीन/06 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-9-16	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 125/अपील/05-06 में पारित आदेश आदेश दिनांक 1.12.06 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का संक्षिप्त इस प्रकार है कि तहसीलदार के यहां अनावेदक ने वर्ष 95-96 के कब्जा जांच हेतु आवेदन दिया। जहां पर तहसीलदार ने विचारण पश्चात 30.7.98 को कब्जा दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा आदेश पारित करते हुये अपील निरस्त की जिससे व्यथित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय प्रस्तुत की जो रमेश प्रताप सिंह की अपील स्वीकार की गई जिससे दुखी होकर यह निगरानी आवेदक रणवीरसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 के	

क्रमशः

R-2258-III/06

समक्ष एक आवेदन पत्र इस आधार पर दिया गया था कि भूमि खसरा कमांक 23, 24, 25, 39, 40, 41 स्थित ग्राम वेकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 में आवेदक 1972 से लगातार काबिज दखील है कब्जे के आधार पंजीकृत विकय दस्तावेज हैं । आवेदक के नाम भूमियों का नामातांरण अन्तर्गत धारा 109–110 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता नहीं हुआ जिस कारण अनावेदकगण का नाम खसरे के भूमिस्वामी खाने में दर्ज है। किन्तु कास्तकारी आवेदक करता है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी कहा है कि तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा द्वारा इस निमावली का पालन करते हुये आवेदक का कब्जा खसरा वर्ष 1995–96 में दर्ज करने का आदेश दिया गया जिस आदेश को द्वितीय अपीलय न्यायालय द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रकिया से सही है । अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे।

5– मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख देखा गया तथा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये । विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में अनावेदक का नाम दर्ज है। आवेदक ने तहसीलदार के न्यायालय में वर्ष 95–96 के पूर्व से दर्ज किये जाने जाने हेतु

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जब अपीलार्थी का नाम भूमिस्वामी के रूप में वर्ष 1995-96 के पूर्व से दर्ज चला आ रहा है तो क्या संहिता की धारा 115-116 के अंतर्गत भूमिस्वामी का नाम हटाकर अनावेदक का नाम दर्ज किया जा सकता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है जिसे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अवलोकन के बिना संहिता के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया था। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115-116 के अंतर्गत यदि पूर्व से कोई प्रविष्टि चली आ रही है और खसरा रोस्टर के समय यह प्रविष्टि छूट गयी है तो उस प्रविष्टि को संहिता की धारा 115-116 के अंतर्गत आवेदन पत्र देकर सुधार कराया जा सकता है। खसरा के कॉलम न0 3 में अनावेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है तो भूमिस्वामी का नाम 115-116 के अंतर्गत हटाया नहीं जा सकता है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 1.12.2006 स्थिर रखा जाता है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सदस्य